न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला–बून्दी (राज0)

मिसल नम्बर – 05 / प्रा0पत्र / 2023 (GCMS NO. 2023 / 18) दायरा तारीख –09.01.2023

उनवान

1. श्रीमति पूजा देवी पुत्री रामचरण जाति नायक निवासी ग्राम गम्भीरा हाल पत्नी विनोद जाति नायक निवासी कुलमियों की झोपडिया सुरली जिला टोंक।

–प्रार्थीया

बनाम

1. कन्हैयालाल आ0 गोपाल जाति नायक निवासी गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान।
2. शंकरलाल आ0 लड्डू जाति नायक निवासी गम्भीरा तहसील नैनवां हाल निवासी अन्नपूर्णा डूंगरी संतोष नगर बम्मोर रोड जिला टोंक राजस्थान
3. सीताराम आ0 लड्डू जाति नायक निवासी गम्भीरा तहसील नैनवां हाल निवासी अन्नपूर्णा डूंगरी संतोष नगर बम्मोर रोड जिला टोंक राजस्थान
4. रतन आ0 लड्डू जाति नायक निवासी गम्भीरा तहसील नैनवां हाल निवासी भोजपुरा ग्राम पंचायत फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक।
5. भू–स्वामी जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवां जिला बून्दी

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक : 26.11.2024

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि ग्राम गम्भीरा(नया) पटवार हल्का गम्भीरा तहसील नैनवां की कृषि भूमि खाता संख्या 284 की खसरा संख्या 713 रकबा 0.4207 हैक्ट0, खसरा संख्या 728 रकबा 1.3268 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7475 हैक्ट0 भूमि स्थित है। यह कि उक्त वर्णित भूमि प्रार्थिया के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की कृषि भूमि है जिसके पास प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 के खेत आ रहे है। जो पुरानी पत्थरगढी सीमाओं को नही मान रहे है और प्रत्यार्थीगण प्रार्थिया की उपरोक्त कृषि भूमि की सीमाओं को बिगाड रहे है। उक्त प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 लडाकू किस्म के अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो प्रार्थिया की खाते की कृषि भूमि की मेर कोर तोडकर पुराने चिन्हों को नष्ट–भ्रष्ट कर रहें है। मना करने पर लडाई झगडा करने व मारपीट करने पर उतारू होते है। यह कि प्रार्थिया ने पूर्व में भी पटवारी हल्का से सीमाज्ञान करवाया था। लेकिन उक्त सीमाओं को भी प्रत्यार्थीगण नहीं मान रहे है। अतः निवेदन है कि प्रार्थिया की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि को सक्षम अधिकारी श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां से स्वयं के द्वारा पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2,3,4 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये जिस पर उसके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यार्थी संख्या 1 के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 727 / 2469 ग्राम गम्भीरा में स्थित है जिसका रकबा 7 बीघा करीब है। जिसमें प्रार्थिया ने जबरन अवैधानिक एवं अनाधिकृत रूप से करीबन 3 बीघा भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। उक्त कृषि भूमि को भी प्रार्थिया ने अपने खातेदारी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में मिला रखा हैं जबकि प्रार्थिया का उक्त कृषि भूमि में कोई अधिकार व आधिपत्य नहीं है। यह कि प्रार्थिया ने उक्त प्रार्थना पत्र महज प्रत्यार्थीगण को तंग व परेशान करने के उद्धेश्य से पेश किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट क्रमांक 3621 दिनांक 12.07.2023 के मुताबिक खसरा संख्या 713 व 728 पर पूजा देवी का सम्पूर्ण कब्जा है। न्यायालय में कोई वाद या स्थगन नहीं है। प्रार्थिया की भूमि का सीमाज्ञान किया जा चुका हैं।

अभिभाषक उभयपक्षकारान को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी की बहस मुख्य रूप से प्रार्थना–पत्र के अनुसार रही। अभिभाषक अप्रार्थी ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त

जी ग्राम गम्भीरा(नया) पटवार हल्का गम्भीरा तहसील नैनवां की कृषि भूमि खाता संख्या की खसरा संख्या 713 रकबा 0.4207 हैक्ट0, खसरा संख्या 728 रकबा 1.3268 हैक्ट0 किता 2 कुल रकबा 1.7475 हैक्ट0 भूमि मुताबिक नकल, प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज र्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार पनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार होने के फलस्वरूप अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने के हकदार है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, नैनवां को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गम्भीरा(नया) पटवार हल्का गम्भीरा तहसील नैनवां की कृषि भूमि खाता संख्या 284 की आराजी खसरा नम्बर 713 रकबा 0.4207 हैक्ट0, खसरा संख्या 728 रकबा 1.3268 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7475 हैक्ट0 भूमि प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडोसी खातेदारान की मौजूदगी में सीमा ज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, नैनवां को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/20.24/206

दिनांकः–29.11.2024

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः–न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु ।

वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 05/प्रा0पत्र/2023

बउनवान पूजा देवी बनाम कन्हैयालाल

निर्णय दिनांक 26-11-24

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ~~वाद पत्र~~/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ ~~प्राथमिक डिक्री~~/~~अन्तिम डिक्री~~/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

29/11/2024
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां